HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7385/2026
CNR: RJHC010517692026
URN: CRLMB / 16253U / 2026

P S/o Om Singh, Aged About 17 Years, R/o Navan Hasta P.s Sadar Fajilka District Fajilka Punjab Minor Through Guardian Father Om Singh (At Present Lodged In Central Dist. Jail Sri Ganganagar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mangilal Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/07/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना **श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **206/2024,** अपराध अन्तर्गत धारा **8/21, 8/28, 8/29, 8/27ए, 8/30** स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एवं धारा **411, 465, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

2. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में तीन मुलजिमान जिनसे कि पंजाब में बरामदगी हुई है उन तीनों से कोई कॉल डिटेल प्रार्थी/अभियुक्त की नहीं होना और जो मोबाईल विधि से संर्घषरत किशोर परमजीत का 7009389650 के संबंध में फर्द विश्लेषण तैयार किया गया उसमें केवल कॉल लोकेशन के आधार पर ही इस मामले में अपराध में संलिप्त किया गया है। परमजीत की सिम की कोई कॉल डिटेल जसपाल या छिन्द्रसिंह के साथ की होना इस कॉल विश्लेषण से स्पष्ट नहीं है। जहां तक कि फर्द निरीक्षण मोबाईल फोन मुलजिम छिन्द्रसिंह का प्रश्न है, के व्हाट्सएप कॉल में अपने साथी परमजीत उर्फ पम्मा के जो नंबर बताये गये हैं वे नंबर प्रार्थी/अभियुक्त के होना स्पष्ट नहीं है। उसके अलावा इस

फर्द निरीक्षण मोबाईल फोन में छिन्द्रसिंह मुलजिम द्वारा ही यह स्पष्ट किया गया है कि जो तथाकथित मोबाइल फोन नंबर 7009173567 पम्मा के बताये हैं उस मोबाईल फोन से केवल छिन्द्रसिंह उर्फ छिन्दा का मोबाईल खो जाने से उसका पता लगाने के लिए फोन किया जाना स्पष्ट किया गया है। ऐसे हालात में पाकिस्तान से ड्रॉन के माध्यम से नशीले पदार्थ मंगवाने में प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त का छिन्द्रसिंह व जसपाल के साथ कोई कॉल डिटेल होना स्पष्ट नहीं होने से धारा 37 की अपवादित परिस्थितियां विद्यमान होने से प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया परन्तु यह स्वीकार किया कि कोई कॉल डिटेल जसपाल सिंह उर्फ जस्सी या छिन्द्रसिह के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाईल नंबर 7009389650 के द्वारा होना नहीं पाया गया है।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में कोई कॉल डिटेल सहअभियुक्तगण के साथ की होना नहीं पाई गई है जिससे कि प्रार्थी/अभियुक्त का इस तरह के अपराध में संलिप्त होना माना जा सके। प्रार्थी/अभियुक्त घटना के समय नाबालिग था। ऐसी अवस्था में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह विश्वास करने का उचित आधार है कि प्रार्थी–अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और न ही जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना है। ऐसी स्थिति में धारा 37 की अपवादित परिस्थितियां विद्यमान होने से तथा बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **पी पुत्र ओम सिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

89/SN Lohra/336